न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर
पीठासीन अधिकारीः– श्री नरेश कुमार मालव, R.A.S.

अपील संख्या : 04 / 2018

लादूराम पुत्र श्री अर्जुन गुर्जर, जाति–गुर्जर, निवासी–ग्राम डोबला कलॉ, तहसील–कोटखावदा, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट्

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील–कोटखावदा, जिला–जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आज्ञा दिनांक 22.01.2018 तहसीलदार, कोटाखावदा, जिला–जयपुर बमिसल संख्या 05 / 18 उनवानी सरकार बनाम लादूराम अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम, 1956)

उपस्थितः–

1. श्री राजकुमार शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट् की ओर से।
2. श्री विजय चाहर, राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांक **29.11.2018**

तहसीलदार, कोटखावदा ने अपनी आज्ञा दिनांक 22.01.2018 द्वारा लादूराम पुत्र श्री अर्जुन गुर्जर, जाति–गुर्जर, निवासी–ग्राम डोबला कलॉ, तहसील–कोटखावदा, जिला–जयपुर को ग्राम–डोबला कलॉ की आराजी खसरा नम्बर 1253 / 393 रकबा 0.31 हे. में से 0.31 हे. किस्म जमीन बंजड सिवायचक भूमि पर गेहूँ की काश्त कर सम्वत् 2074 में अतिक्रमण करने का दोषी पाये जाने से राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमी घोषित कर अतिक्रमी को विवादग्रस्त आराजी से बेदखल कर फसल को जब्त सरकार कर तथा वार्षिक लगान राशि 1.24 का 50 गुणा राशि रू0 62 / – शास्ति आरोपित कर, आदेश की पालना में पटवारी हल्का को मांग कायमी, बेदखली कर फसल को जब्त सरकार कर फर्द बेदखली / निलामी पेश करने हेतु लिखे जाने के तथा पश्चात्वर्ती अतिक्रमण के लिए अतिक्रमी लादूराम पुत्र अर्जुन गुर्जर को 01 माह का सिविल कारावास की सजा के आदेश दिये गये हैं, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराई जाकर नोटिस रेस्पोडेन्ट् जारी किये गये व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलान्ट् के विद्वान् अभिभाषक श्री राजकुमार शर्मा का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 22.01.2018 विधि–विधान व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत पारित की गई है। मातहत न्यायालय ने अपीलान्ट् को साक्ष्य–सबूत पेश करने का समुचित अवसर दिये बिना और बिना नोटिस दिये मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर मनमाने तौर पर एकतरफा आज्ञा पारित की है, जो निरस्तनीय है। अपीलान्ट् का आराजी खसरा नं0 1253/393 बंजड सिवायचक पर कोई अतिचार नहीं है बल्कि वास्तविकता तो यह है कि वादग्रस्त आराजी के चिपते ही सीमाजोड अपीलान्ट् की खातेदारी व कब्जा–काश्तशुदा भूमि स्थित है। अपीलान्ट् ने स्वयं की खातेदारी की आराजी पर ही जौ की काश्त की है। मौके पर गेहूँ की कोई फसल मौजूद नही है। पटवारी हल्का ने बिना मौके पर पैमाईश करवाये ही अंदाज के आधार पर अपीलान्ट् के विरूद्ध झूठी रिपोर्ट पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट् को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर ही नही दिया। अवसर दिये जाने के अभाव में अपीलान्ट् अपना जवाब प्रस्तुत नही कर सका। अधीनस्थ न्यायालय ने मौके पर जॉच करवाये बिना ही, साक्ष्यों के बयान लेखबद्ध किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर निर्दोष अपीलान्ट् को सिविल कारावास जैसी कठोर सजा से दण्डित किया है जो कतई विधि सम्मत् नही है। अपीलान्ट् के विद्वान् अभिभाषक श्री राजकुमार शर्मा का यह भी कथन है कि ग्राम डोबलाकलां के आम नागरिकों ने संयुक्तरूप से मुख्य–मन्त्री राजस्थान सरकार व अन्य सक्षम अधिकारियों के समक्ष प्रेषित कर राजस्व ग्राम डोबला कलां की सरहद में स्थित अन्य खसरा नम्बर 393/1, 1254/393, 1255/393, 1256/393 राजकीय भूमि पर अन्य व्यक्तियो द्वारा किये गऐ अतिक्रमण को हटाने बाबत प्रार्थना–पत्र प्रेषित किये थे इन प्रार्थना–पत्रों पर तहसीलदार, कोटखावदा द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई बल्कि अतिक्रमियों के प्रभाव एवं प्रलोभन में आकर अपीलान्ट् के विरूद्ध सर्वथा झूठी व मनगढ़न्त कार्यवाही की गई है जो अवैध होने से निरस्तनीय है। वास्तविक त्रुटि पटवारी हल्का ने की है और उसकी गहराई से बिना जांच पड़ताल किये ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आज्ञा पारित की है जो विधि–विरूद्ध होने से निरस्तनीय हैं। अपीलान्ट के विरूद्ध झूठी व मनगढ़न्त् कार्यवाही की गई है यह तथ्य इस बात से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि पटवारी हल्का ने पश्चातवर्ती

अतिचार की कोई रिपोर्ट नही की है, नोटिस में भी पूर्ववर्ती अतिक्रमण का कोई उल्लेख नही है। अपीलान्ट् को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी होना जाहिर कर सिविल कारावास की सजा दी है जबकि इस सम्बन्ध में ऐसे कोई तथ्य पत्रावली पर नही है कि अपीलान्ट द्वारा पूर्व में कब अतिचार किया, कब्जा किस प्रकार किया एवं किससे अर्थात् मकान, बाड़ा बनाकर अथवा काश्तकर कब्जा किया हैं। अपीलान्ट के विरूद्ध अतिचार की कार्यवाही कब की और पूर्व में कब अपीलान्ट को बेदखल किया गया। पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है जो यह प्रकट करते हो कि अपीलान्ट् द्वारा पूर्व में विवादग्रस्त आराजी पर अतिचार किया गया हो और तहसीलदार द्वारा बेदखली के आदेश पारित किये गये हो और अपीलान्ट को भौतिक रूप से बेदखल किया गया हो समस्त कार्यवाही फौरी तौर पर कागजी कार्यवाही कर सिविल कारावास जैसा कठोर दण्ड अपीलान्ट को तथ्यों व बिना किसी आधार के दिया गया है जो निरस्तनीय है अतः अपील अपीलान्ट् स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 22.01.2018 निरस्त फरमाई जावें ।

विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप पारित की गई। अपीलाधीन आज्ञा पारित किये जाने से पूर्व अपीलान्ट्–गैरसायल को विधि–पूर्ण तरीके से नोटिस दिया गया हैं। नोटिस दिये जाने पर अपीलान्ट स्वयं उपस्थित हुआ है। जवाब–दस्तावेजात् प्रस्तुत किये जाने से इन्कार किये जाने पर ही गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। मौके पर अतिचार था अतिचार की रिपोर्ट करने के लिऐ पटवारी हल्का अधिकृत है और अधिकृत कार्मिक द्वारा अतिचार की रिपोर्ट की है । अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो कि विवादग्रस्त कब्जा अपीलान्ट् की स्वयं की खातेदारी भूमि में हो। अतः अपील–अपीलान्ट् खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी हल्का दि. 04.01.2018 में विवादग्रस्त आराजी बंजड सिवायचक होना दर्ज है इसके खण्डन में अपीलान्ट् द्वारा ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है जो यह जाहिर करते हो कि अतिक्रमण किया गया रकबा आराजी खसरा नं0 1253/393 का नहीं हो और न ही पत्रावली पर ऐसे कोई साक्ष्य है जो यह जाहिर करते हो कि विवादग्रस्त

आराजी के चिपते ही सीमाजोड़ अपीलान्ट् की खातेदारी आराजी है और इस पर ही जौ की फसल काश्त की है, साक्ष्यों के अभाव में स्वीकार्य नहीं हैं। अतः पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर यह बखूबी सिद्ध है कि वादग्रस्त आराजी बंजड सिवायचक होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वांरा अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही की गई हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 04.01.2018 के विशेष कॉलम में पूर्ववर्ती अतिचार की कोई रिपोर्ट अंकित नहीं है और न ही तहसीलदार, कोटखावदा द्वारा जारी नोटिस में पूर्ववर्ती अतिचार का कोई उल्लेख किया गया है। पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य नही है जो यह प्रकट करते हो कि पूर्व में किस सम्वत् व किस फसल में कौनसा अतिचार किये जाने के परिणामस्वरूप कौनसा प्रकरण दर्ज किया गया और सक्षम अधिकारी तहसीलदार द्वारा बेदखली के आदेश किस पत्रावली संख्या/उनवान में कब दिये गये और किन आदेशों की पालना में बेदखल किया गया। गैरसायल को दिनांक 11.01.2018 को जो नोटिस जारी किया गया हैं उसमें मात्र यह अंकित किया गया हैं कि अपीलान्ट् गैर–सायल द्वारा कृषि वर्ष 2074 में भूमि पर अतिचार किया गया हैं। अधूरे एवं अस्पष्ट नोटिस के आधार पर एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से पश्चातवर्ती अतिचार सिद्ध न होने से सिविल कारावास जैसी कठोर दण्ड की आज्ञा को न्याय–संगत नहीं पाते हैं। अतः उक्त विवेचनानुसार अपील–अपीलान्ट् आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं और अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 04.01.2018 मे सिविल कारावास की सजा निरस्त की जाती हैं। शेष भाग यथावत् रखे जाने के आदेश दिए जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

29/11/18

(नरेश कुमार मालव)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

के पृष्ठ 4
निर्णय दिनांक 29-11-18, की पंक्ति सं0 20 में दिनांक 4-1-18 के स्थान पर 22-1-18 दर्ज की जाती है। अतः दिनांक 4-1-18 के स्थान पर दि0 22-1-18 पढा जावे।
7/1/19

अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर